न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1,
R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या	-	990/2022
एफ.आई.आर.सं.	-	283/2022
पुलिस थाना	-	सदर, जिला बांसवाडा
अपराध अन्तर्गत धारा	-	392/34 भारतीय दण्ड संहिता,
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा		439, दण्ड प्रक्रिया संहिता

दिलीप पुत्र सोहन लासुनिया, आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम शंकरपुरा, ग्राम पंचायत मलवासा, पुलिस थाना सदर, बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज.)

- अप्रार्थी

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार : अभियुक्त की ओर से।

लोक अभियोजक श्री गिरिश डांगर : राज्य की ओर से ।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 28.11.2022</u>**

1- प्रार्थी/अभियुक्त दिलीप की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437, द.प्र.सं.विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 22.11.2022 को खारिज किए जाने पर उसकी ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को पूर्व में दिलाई जा चुकी है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.09.2022 को परिवादी जगमोहन पुत्र मोहनलाल डामोर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 04.09.2022 को बांसवाडा कार्य से मोटर साईकिल लेकर आया था तथा कार्य करके वापस गांव डोकर रात्रि करीब 10.30 बजे रवाना हुआ। रात्रि करीब 11.00 बजे मलवासा पहुंचा, जहां पर पुलिया से थोडा आगे गया तो एक पल्सर मोटर साईकिल पर तीन व्यक्ति पीछा करते हुए आये और आते ही उसे बीच में बैठे व्यक्ति ने चलती मोटर साईकिल पर धक्का दिया। उसने मोटर साईकिल रोक दी तो उस मोटर साईकिल पर पीछे बैठे दोनों व्यक्ति नीचे उतरे और उतरते ही

उसकी मोटर साईकिल की चाबी छीन ली और उसका सैमसंग कंपनी का मोबाईल छीन लिया तथा उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, जिसमें 9700/- रूपये, एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड व स्कूल का एक कटा हुआ चैक 000019 जो जबरन उससे छीन कर लूट लिये और उसके गले में पहनी हुई सोने की आधा तोला की चैन भी तोड कर भाग गये। तीनों मोटर साईकिल लेकर बांसवाडा की तरफ भाग गये.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर थाना सदर, बांसवाडा द्वारा एफआईआर सं. 283/2022 दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा दौराने अनुसंधान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

3- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा अन्तर्वलित किया गया है। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14 .11.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए एवं अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रेकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले के अलावा अन्य तीन अन्य आपराधिक प्रकरण निम्नानुसार दर्ज/लंबित होना बताये गये हैं-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या मय पुलिस थाना व दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस
01	284/06.09.2022 पुलिस थाना सदर	394/34 भा.द.सं.	जैर तफ्तीश
02	300/2022 पुलिस थाना सदर	379 भा.द.सं.	जैर तफ्तीश
03	300/2022 पुलिस थाना सदर	379 भा.द.सं.	जैर तफ्तीश

6- केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा अभी तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 का अपराध

प्रमाणित पाया जाना बताया गया है, जोकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.11.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। केस डायरी के साथ अभियुक्त का आपराधिक रेकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं। इस संबंध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि उक्त सभी प्रकरण वर्तमान में जैर तफ्तीश हैं और इसके अलावा प्रार्थी/अभियुक्त की सजायाबी का कोई रेकॉर्ड केस डायरी पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक रेकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के लाभ से वंचित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7- अतः मामले के तमाम तथ्यों-परिस्थितियों एवं मामले की प्रकृति आदि तथ्यों को देखते हुए, परन्तु इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है।

8- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिलीप पुत्र सोहन लासुनिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद, न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे उपस्थिति हेतु 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो, उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

8-आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा